राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 529/2024

जय प्रकाश रोलन —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप—1), जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर।
3. एसडीएम, करेडा, जिला भीलवाड़ा।
4. उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पटवार मंडल हनुतिया, मसूदा, जिला अजमेर में दिनांक 23.04.2003 को हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर उप महानिरीक्षक पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.08.2022 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, अराई, अजमेर से उप महानिरीक्षक पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर में रिक्त पद पर किया गया। जहां पर अपीलार्थी ने आदेश की अनुपालना में अगस्त 2022 में कार्यग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.02.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार, भीम जिला राजसंमद में 130 कि.मी. दूर एक जिले से दूसरे जिले में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 1 वर्ष 6 माह की

अल्पावधि में किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति के विपरीत है। राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति एवं राज्य मंडल के परिपत्र दिनांक 30.10.1993 (अनुलग्नक–3) के द्वारा स्पष्ट अंकित किया गया है कि कार्मिक का स्थानान्तरण एक तहसील से दूसरी तहसील में अथवा एक हलके से दूसरे हलके में दो वर्ष पूर्व संभागीय आयुक्त से अनुमति प्राप्त कर स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी की पुत्रियां कक्षा–12 एवं बीए, बीएड में अध्ययनरत है। अपीलार्थी के स्थानान्तरण से अपीलार्थी के बच्चों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 6507/2019 डॉ. संजय प्रभूणे बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019 (अनुलग्नक–4) एवं माननीय अधिकरण में दायर एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 5637/2021 परमेश्वर सुथार एवं राजस्व विभाग में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2021 (अनुलग्नक–5) के द्वारा स्थगन प्रदान किया गया है, जिसमें अपीलार्थी का प्रकरण भी समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर कार्यालय, उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर में कार्यरत रहने एवं समस्त पारिणामिक लाभ सहित वेतन का भुगतान करने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार, भीम जिला राजसंमद में राज्यहित में किया गया है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का

कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> ***"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."***

5. अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 130 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (डब्ल्यू.एल. सी. 2007(2) 276)** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> ***"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."***

6. अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:–

> ***"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."***

7. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।
8. आदेश आज दिनांक .... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)